न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखंड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौड़गढ़ (राज॰)

अपील संख्या ::–3/17

1. बरदी पिता घीसा जी जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी मड़ावदा हाल पत्नी माधूलाल जी धाकड़, निवासी रूपपुरा, तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़ राज.
2. मोहनी बाई पिता घीसा जी जाति धाकड़, उम्र बालिग, निवासी मड़ावदा, हाल पत्नी मांगीलाल जी धाकड़, निवासी हरिपुरा, तहसील बेगूँ, जिला चित्तौड़गढ़ राज. .... अपीलांट्स

बनाम

1. घीसालाल पिता दौला जी जाति धाकड़, उम्र बालिग निवासी मड़ावदा तहसील बेगूँ, जिला चित्तौड़गढ़
2. नन्दूबाई पिता दौला जी जाति धाकड़, उम्र बालिग, निवासी मड़ावदा हाल पत्नी कन्हैयालाल जी धाकड़, निवासी खरड़ी तहसील बेगूँ, जिला चित्तौड़गढ़ राज.
3. श्रीमान् भूमिधारी तहसीलदार साहब बेगूँ तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़, राज. .... रेस्पोंडेंट्स

आदेश अपील नामांतरकरण संख्या 677 विरुद्ध ग्राम पंचायत, आँवलहेड़ा द्वारा निर्णय दिनांक 05/09/2001

उपस्थित : श्री के.सी. मंत्री,
अधिवक्ता अपीलांट्स
पैरोकार सरकार तहसीलदार बेगूँ

आदेश दिनांक : 19/12/2017

अपीलांट्स की ओर से एक अपील ग्राम मड़ावदा प.ह. आँवलहेड़ा, तहसील बेगूँ के नामांतरकरण संख्या 677 में ग्राम पंचायत आँवलहेड़ा के निर्णय दिनांक 05/09/2001 के विरुद्ध अधिवक्ता श्री के.सी. मंत्री द्वारा प्रस्तुत करते हुए निवेदन इस प्रकार किया किः–

यह कि ग्राम मड़ावदा के मृतक खातेदार दौला पिता गोकल जी धाकड़ जो अपीलांट्स व रेस्पोंडेंट संख्या 1 व 2 के पिता थे, के विरासत का नामांतरकरण संख्या 677 हल्का पटवारी ने सैक्टर शिविर कैंप चेंची में दिनांक 25.8.2001 को प्रस्तावित किया जिसमें प्रस्तावित कॉलम संख्या 9 में मृतक खातेदार के सभी वारिसान घीसा, नन्दू, बरदी एवं मोहनी (पुत्र पुत्रियों) का नाम अंकित किया व इसी नामांतरकरण पर सजरा जो अंकित किया गया, वह सही सही अंकित किया गया। भू–अभिलेख निरीक्षक चेंची ने जाँच में रेकार्ड एवं सजरा वारिसान अनुसार अंकन ठीक होने की अपनी टिप्पणी कर दी। वक्त नामांतरकरण प्रस्तावित सैक्टर शिविर कैंप चेंची में था, जिस दिन इसे निर्णित करने का अधिकार राजस्व अधिकारी का था, किंतु उन्होंने इसे निर्णित नहीं किया।

यह कि दिनांक 05.09.2001 को ग्राम पंचायत आँवलहेड़ा के सरपंच ने इस नामांतरकरण को विधि प्रावधानों के विपरीत जाकर बिना किसी कानून के अकेले पुत्र घीसा रेस्पोंडेंट संख्या 1 के पक्ष में यह लिखते हुए कि बहिनें उपस्थित हुईं एवं पिता की जायदाद में अपना हिस्सा नहीं चाहती हैं, इसलिए नामांतरकरण अकेले घीसा पिता दौला के नाम स्वीकृत किया जाता है, नामांतरकरण निर्णित कर दिया। कानूनन ग्राम पंचायत को इस तरह का निर्णय देने का कोई अधिकार नहीं था। हम अपीलार्थीगण न तो ग्राम पंचायत के कौरम में गयीं एवं न ही हमने अपनी इस तरह की कोई सहमति ही दी एवं न ही कानूनन ऐसी कोई सहमति दी ही जा सकती थी। इस प्रकार ग्राम पंचायत आँवलहेड़ा ने अकेले रेस्पोंडेंट संख्या 1 के पक्ष में नामांतरकरण कर कानूनी भूल की है जिससे नामांतरकरण संख्या 677 में विरासत पर जो निर्णय दिया है, वह निरस्त होने योग्य है।

यह कि हम अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट संख्या 2, दौला जी की पुत्रियों के वारिस होते हुए नामांतरकरण संख्या 677 पर अकेले घीसा के पक्ष में विरासत का निर्णय किया गया है, वह निर्णय एक अवैध, विधि विरुद्ध व अपीलार्थीगण के अधिकारों मुकाबले प्रभावशून्य निर्णय हैं, जिसे निरस्त किया जाकर पुनः अपीलांट्स एवं रेस्पोंडेंट संख्या 1 व 2 के नाम नामांतरकरण किये जाने की कार्यवाही बाबत् आदेश दिया जाना न्यायोचित है। रेस्पोंडेंट संख्या 2 ने अपीलार्थी बनने से इंकार करने के कारण उसे रेस्पोंडेंट बनाया गया है।

यह कि नामांतरकरण संख्या 677 का निर्णय दिनांक 05.09.2001 को होकर इस निर्णय की जानकारी अपीलांट्स को दिनांक 19.04.2017 को नामांतरकरण एवं राजस्व रेकार्ड की नकलें प्राप्त करने से हुई हैं एवं नकलें प्राप्त होते ही नामांतरकरण अपील बिना किसी देरी के प्रस्तुत की जा रही हैं जो जानकारी दिनांक से अंदर अवधि प्रस्तुत हैं। साथ ही उक्त नामांतरकरण निर्णय अवैध निर्णय की परिभाषा में आने से व अवैध नामांतरकरण की कोई मियाद नहीं होते हुए भी दिनांक 05.09.2001 से दिनांक 19.04.2017 तक की अवधि को कंडोन किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र पृथक से प्रस्तुत है।

अतः न्यायालय श्रीमान् से प्रार्थना है कि मौजा मड़ावदा तहसील बेगूँ के नामांतरकरण संख्या 677 पर दिये गये अवैध एवं विधि विपरीत निर्णय को निरस्त फरमा, सभी वारिसान के नाम नामांतरकरण किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

निरंतर ... 2

अपील प्रस्तुत होने पर बाद जाँच–रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोंडेंट संख्या 1 व 2 बावजूद सूचना हाजिर न्यायालय नहीं आने से उनके विरुद्ध दिनांक 16.11.2017 को एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। रेस्पोंडेंट संख्या 3 भूमिधारी तहसीलदार बेगूँ फोर्मल पार्टी होने से जवाब की आवश्यकता नहीं है। वकील अपीलार्थीगण श्री के.सी. मंत्री की एकतरफा बहस हमारे द्वारा सुनी गयी। पत्रावली में प्रस्तुत जमाबंदी, नामांतरकरण इत्यादि दस्तावेजात का अवलोकन किया जाकर हमारे द्वारा मनन किया गया। खातेदार दौला धाकड़ के वारिसानों में तीनों पुत्रियों क्रमशः अपीलार्थीगण संख्या 1 व 2 एवं रेस्पोंडेंट संख्या 2 द्वारा रेस्पोंडेंट संख्या 1 घीसा पिता दौला धाकड़ के पक्ष में हकत्याग किये जाने संबंधी कोई लिखित साक्ष्य के अभाव में ग्राम पंचायत आँवलहेड़ा द्वारा दिया गया निर्णय दिनांक 05.09.2001 निरस्त किये जाने योग्य पाया जाता है।

अतः अपीलार्थीगण द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 17 के तहत कपट या भूल का प्रभाव मानते हुए स्वीकार किया जाकर अपील अपीलार्थीगण स्वीकार करते हुए ग्राम पंचायत आँवलहेड़ा द्वारा दिनांक 05/09/2001 को दिये गये निर्णय को निरस्त किया जाता है तथा मौजा ग्राम मड़ावदा पटवार हल्का आँवलहेड़ा तहसील बेगूँ के नामांतरकरण संख्या 677 में मृतक खातेदार दौला पिता गोकल जी धाकड़ का नामांतरकरण हिंदु उत्तराधिकार अधिनियम के नियमानुसार भली प्रकार से जाँच की जाकर पुनः खोले जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार बेगूँ को इस बाबत् प्रति पालनार्थ भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 19.12.2017 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(रागिनी डामोर)
सहायक कलक्टर
(उपखंड अधिकारी), बेगूँ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official